अनुलग्नक–I मद संख्या 4.01

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल–कूद अवसंरचना एवं उपकरणों के विकास संबंधी दिशा–निर्देश 12वीं योजना अवधि (2012–2017) के दौरान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल–कूद अवसंरचना एवं उपकरणों के विकास संबंधी दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

खेल–कूद, शारीरिक एवं मानसिक विाकस का साधन होने के अतिरिक्त देश में मैत्री भावना का भी निर्माण करते हैं। खेल–कूद एक ऐसा आधार स्थल है जहाँ पर सभी सिद्धान्तों, वर्ण, धर्म एवं समाजी आर्थिक स्तर के व्यक्तियों को मनोरंजन के समान सुअवसर उपलब्ध होते हैं। यह एक ऐसा द्रवीभूत करने का माध्यम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार एवं सुअवसर उपलब्ध हैं। इस प्रकार खेल–कूद राष्ट्रीय एकीकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है। खेल–कूद में भागीदारी किसी भी देश को तत्पर बनाती हैं तथा जनसंख्या के मध्य अस्वस्थता एवं नश्वरता के दबाव को भी न्यून करती है। भारतीय लोग स्वभाव से गृह–प्रेमी हैं अतः इसी अनुसार जीवन शैली के कारण रोगों का भार घातक रूप से देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुंए कि स्वस्थ एवं तत्पर राष्ट्र सभी मानदण्डों के अनुसार निष्पादन में अधिक श्रेष्ठ होता है, यह महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में खेल–कूद अवसंरचना विकास का समर्थन करता है जिससे समस्त छात्रों को खेल–कूद में विशाल रूप से भाग लेने के सुअवसर उपलब्ध हो सकें। खेल–कूद की प्रोन्नति के लिए इस योजना के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मूलभूत अवसंरचना एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे। छात्रों को उनके अवकाश काल में सकारात्मक तौर से व्यस्त रखने के लिए यह एक प्रयास है।

2. लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस परियोजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में खेल–कूद प्रोन्नत करना है जिससे वहाँ पर क्षमता निर्माण हो जिसके पीछे यह विचार धारा है कि खेल–कूद सूची स्तम्भ का विशाल आधार अन्ततोगत्वा उन पर्याप्त खिलाड़ियों को जन्म दे जो सर्वोत्कृष्ट खेलों में भाग लें। उस सूची स्तम्भ को और विस्तृत बनाकर अंतः ऐसे अनेक खिलाड़ी उभरकर आएँगे जो भारत का प्रतिनिधित्व अंर्तराष्ट्रीय खेलों में करेंगे।

(क) विशिष्ट खेलों में छात्रों की भागीदारी को देखते हुए खेलकूद अवसंरचना के मंथर विकास–अर्थात मूलभूत सें उच्चतमांक अवस्था तक के लिए चरणबद्ध रूप से समर्थन।

(ख) अवसंरचना एवं उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों द्वारा विशिष्ट खेलों में गत अवधि में किया गया निष्पादन दृष्टिगत किया जाएगा।

(ग) जैसा कि प्रथम चरण में संकेत दिया गया है, समस्त पात्र विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी बशर्ते उनके प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयुक्त माना गया हो। चरण–II अथवा चरण–III तक के लिए इसके बाद का अनुदान को उन्नत करने की कार्रवाई यथास्थिति पहले उपलब्ध कराई गई सहायता की उच्चतम उपयोगिता किए जाने और/अथवा संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ही की जाएगी, तथा

(घ) परियोजना की समस्त गतिशीलता, का लक्ष्य अवसंरचना का चरणबद्ध विकास एवं प्रत्येक स्तर पर उचित सर्वेक्षण करना है।

3. पात्रता

(क) समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय (कृषि/चिकित्सा/दन्त चिकित्सा/परिचर्या/निजी विश्वविद्यालय इनसे अतिरिक्त) जो अनुच्छेद 2 (एफ) एवं धारा 12 (बी), यूजीसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आवृत्त हैं तथा जिन्हें यूजीसी की विकास सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित किया गया है–वे सभी इस परियोजना में आवृत्त होंगे।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत जिस भूमि/भवन को लेकर अवसंरचना की माँग की गई है, वह भूमि/भवन उस आवेदक संस्थान के अविवादित कब्जे में होनी चाहिए।

(ग) समस्त नक्शों के खाकों एवं अनुमानित आय–व्यय अनुमानों को ऐसे पंजीकृत वास्तुकार से तैयार कराया जाए जो वास्तुकार परिषद् से पंजीकृत हो।

(घ) आवंटित राशि संपूर्णतः अंतिम रूप से होगी तथा लागत में होने वाली किसी बाद की बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ड) निधि को, यूजीसी के उन परियोजनाओं पर लागू नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा।

(च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अगले चरण के लिए आवेदन कर सकता है–यदि इसके पास पूर्व संदर्भित चरणों के अनुसार पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध है।

(छ) कोई भी व्यय जो कि यूजीसी द्वारा अनुमोदित अनुदान राशि से ऊपर हुआ है–इसे संस्थान द्वारा संसाधनों से पूरा करना होगा।

(झ) आवंटित अनुदान अवसंरचना एवं उपकरण निर्माण के लिए है तथा यूजीसी द्वारा रख रखाव के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

(त) परियोजना के निर्धारित प्रारूप में खेलकूद अनुशिक्षक/शारीरिक शिक्षा के निदेशक आदि के रूप में आवश्यक स्टाफ़ का उल्लेख किया जाना चाहिए। उपयोगिता के लिए मानव संसाधन के अभाव की स्थिति में कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।

(थ) उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण एवं की गई प्रगति के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूपों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(द) ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों पर केन्द्रक परियोजना अधिकारी एवं कुलसचिव/प्राचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए।

4. प्रस्तावों की निपटान की एवं अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले उद्यतन प्रस्तावों का परीक्षण यूजीसी विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति द्वारस कराएगी। प्रस्ताव की स्वीकृति/नामंजूरी के बारे में विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति आयोग को अपनी अनुशंसा प्रदान करेगी। अनुदान का 50 प्रतिशत भाग तथा उपकरणों के लिए चिह्नित समस्त राशि पहली किस्त के रूप में जारी की जाएगी तथा शेष अनुदान में से 40 प्रतिशत राशि को यूजीसी द्वारा गठित समिति द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् किए गए सर्वेक्षण अनुसार, जारी किया जायगा। शेष 10 प्रतिशत अनुदान इस परियोजना के अन्तर्गत इस प्रस्ताव योजना के पूरा होने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

5. सर्वेक्षण की प्रणाली

यूजीसी द्वारा विधिवत गठित विधिवत विशेषज्ञ समिति द्वारा मध्यवधि सर्वेक्षण लगभग एक से डेढ़ वर्ष उपरान्त सामूहिक रूप से किया जाएगा।

6. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना के विकास के लिए–चरण बद्ध सहायता का प्रतिरूप

प्रथम चरण (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा मांगी गई अवसंरचनात्मक सहायता, उपलब्ध भूमि/मानव संसाधनों पर निर्भर होगी) (विभिन्न घटकों में से केवल दो मद ही अनुप्रयोज्य हैं)

I. संयुक्त फुटबॉल/क्रिकेट खेल मैदान–पिच सहित–मानक आकार

	प्रकार	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	बिना दौड पथ वाला	₹ 5,00,000
	6 विधि का घास वाला दौड़ पथ	₹ 6,00,000
	8 विधि का घास वाला दौड़ पथ	₹ 7,00,000

II.

	खेल मैदान का स्वरूप	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	मानक आकार वाला हॉकी घास मैदान–बिना दौड़ पथ के	₹ 3,60,000
	मानक आकार का कंक्रीट बास्कट बॉल आंगन–सीधी खड़ी मट्टी सहित तथा सिन्थेटिक बैक बोर्ड सहित	₹ 5,00,000
	प्रशिक्षण के लिए क्रिकेट पिच	₹ 60,000
	वॉलीबॉल एवं बास्किट बॉल आंगन के लिए परिप्रदीप्त	₹ 4,00,000

III. टेनिस प्रांगण–मानक आकार

	प्रकार	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	कंक्रीट	₹ 3,50,000
	मोरूम	₹ 3,00,000

द्वितीय चरण (प्रथम चरण के समुचित विकास के पश्चात अवसंरचना अनुप्रयुक्त होगी) (विभिन्न घटकों में से केवल दो घटको के लिए आवेदन किया जा सकता है।)

I. भीतरी खेलकूद प्रशिक्षण सुविधा–जिसमे लकडी का फर्श होगा (Tongue and Groove system)

	प्रकार	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	आकार 36X34X12.5मीटर के कम न हो	₹ 70,00,000
	आकार 30X18X12.5 मीटर के कम न हो	₹ 65,00,000
	आकार 20X12X7 मीटर के कम न हो	₹ 60,00,000

II.

	प्रशिक्षण सुविधा का स्वरूप	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	बहिरंग स्टेडियम मैदान आकार 105X70 मीटर के कम न हो	₹ 50,00,000
.	बहिरंग स्टेडियम मैदान आकार 170X100 मीटर के कम न हो जिसमें 8 पथ घास दौड़ मार्ग	₹ 60,00,000
	8 वीथि तरण–ताल जिसका वस्तिार 25X21X1.80 मीटर हो	₹ 1,25,00,000
	भीतरी चाँदमारी (Shooting Range) 30X20X4 मीटर	₹ 90,00,000
	50 विस्तर वाला खेलकूद छात्रावास	₹ 75,00,000
	बहु–उद्देश्यीय व्यायामशाला	₹ 1,00,00,000

तृतीय चरण (द्वितीय चरण में प्रर्याप्त विकास के पश्चात अवसंरचना अनुप्रयुक्त होगी) (केवल एक मद के लिए आवेदन किया जा सकता है।)

I.

	सुविधा का स्वरूप	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	8 वीथि तरण–ताल जिसका वस्तिर 50X21X1.80 मीटर हो	₹ 2,25,00,000
	100 बिस्तर वाला खेलकूद छात्रावास	₹ 1,50,00,000
	स्वस्थता केन्द्र–खेलकूद विज्ञान समर्थित	₹ 2,40,00,000

नोटः (i) परियोजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय इन तीन चरणों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है जो इस बात पर निर्भर होगा कि उसके द्वारा कितनी अवसंरचना का विकास हुआ है। प्रथम चरण के तीन घटक हैं। चरण–II के दो घटक हैं तथा चरण–III में केवल एक घटक है। आवेदक विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय चरण I के तीन घटकों में से किसी दो का तथा चरण II के दो में से दो घटकों का तथा चरण III से एक मद का आवेदन कर सकता है।

II उपकरणों के लिए प्रत्येक चरण में एक अतिरिक्त समेंकित ₹10 लाख राशि तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

III विश्वविद्यालय महाविद्यालय बारहवीं योजना में निर्मित जो अवसंरचना सामान्य विकास सहायता के अन्तर्गत विद्यमान थी, उसे अनुरक्षित करें। तत्पश्चात उस अवसंरचना का अनुरक्षण सम्बद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

IV निम्न के अन्तर्गत सहायता उच्चतमांक

(अ) चरण I - ₹ 12.00 लाख+ 10.00 लाख उपकरण हेतु = ₹22.00 लाख
चरण II - ₹ 195.00 लाख+ 10.00 लाख उपकरण हेतु = ₹205.00 लाख
चरण III- ₹ 240.00 लाख+ 10.00 लाख उपकरण हेतु = ₹250.00 लाख

अनुलग्नकः–I

परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव का प्रारूप

जिस चरण के लिए आवेदन किया गया है।

यदि प्रारम्भिक चरणों में सुविधाएँ निम्न चरणों में उपलब्ध हैं तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उच्चतर चरण के लिए आवेदन कर सकता है।

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सूचनाः

नाम	
पता	
कुलपति का नाम/प्राचार्य	
दूरभाष सं. (कार्यालय)	
मोबाइल सं.	
ई. मेल आई डी	
वेबसाइट	
केन्द्रक परियोजना अधिकारी का नाम (एन.पी.ओ.)	
एन.पी.ओ. का दूरभाष नं (कार्यालय)	

2. क्या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ़) एवं 12 (बी) के अन्तर्गत मान्य हैं? (कृपया चिह्नित करें) हाँ/नहीं
3. विश्वविद्यालय महाविद्यालय की अवस्थिति – शहरी/ग्रामीण

4. गत 3 वर्षों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा नामांकित नियमित छात्रों की संख्याः

वर्ष	छात्रों की संख्या

5. विश्वविद्यलय/महाविद्यालय में उपलब्ध अवसंरचना का विवरणः

क्र.सं.	चरण–I	चरण–II

6. 11वीं योजना अवधि में किसी भी खेल कूद योजना के अन्तर्गत दी गई यूजीसी की वित्तीय सहायता का विवरण

आवंटित	
जारी की गई	
उपयोगिता की गई	
प्रतिपूर्ति	

7. गत तीन वर्षों के दौरान खेलकूद में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की भागीदारी

क्र.सं.	खेल का नाम	वर्ष	भागीदारी करने वाले खेलों की संख्या

8. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की अन्तर विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालय खेलों में एवं इनके अतिरिक्त अन्य में प्राप्त मेडल की गणना, गत तीन वर्षों के दौरान

वर्ष	खेल	भागीदारी का स्तर	मैडल

9. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध मानव संसाधन

	संख्या	कार्य भार ग्रहण तिथि
निदेशक		
उप–निदेशक		

सहायक निदेशक		

अनुशिक्षक (संख्या)	खेल	एस0ए0आई0	विश्वविद्यालय	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

10. प्रस्तावित निर्माण किए जाने वाली अवसंरचना की योजनाः

योजना	वास्तुकार का नाम व पता	वास्तुकार परिषद् में वास्तुकार की पंजीकरण संख्या

11. उपलब्ध भूमि का विवरणः–

भूमि का विस्तार	जिस उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाना है	मालिकाना दस्तावेज (संलग्न/संलग्न नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य सही है। तथा मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसान सत्य हैंः–

परियोजना के केन्द्रक अधिकारी

कुलसचिव/प्राचार्य

अनुलग्नक–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ₹..... (रूपये.....) जो कि पत्र मि0सं0 / पत्र.....दिनाँक.....जो कि..... के लिए स्वीकृत की गई थी उसकी उपयोगिता उसी उद्देश्य के लिए कर ली गई है तथा आयोग द्वारा निर्धारित निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार इसकी उपयोगिता हुई है।

यदि किसी जाँच अथवा लेखा परीक्षा के परिणाम स्वरूप यदि कोई बाद में अनियमितता पाई जाती है तो विवादित राशि की प्रतिपूर्ति अथवा उसके नियमितिकरण के बारे में कार्रवाई की जाएगी।

प्राचार्य / कुलसचिव (सील सहित)	वित्त अधिकारी (केवल विश्वविद्यालय के विषय में)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सरकारी लेखपाल (महाविद्यालय के विषय में)

दिनाँक: .....

अनुलग्नक–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली

व्यय विवरण

लेखा परीक्षित व्यय विवरण जो कि ..... के विषय में है जिसे यूजीसी ने पत्र संख्या ..... दिनाँक ..... द्वारा अनुमोदित किया है।

विस्तृत व्यय विवरण

प्राचार्य / कुलसचिव	वित्त अधिकारी (केवल विश्वविद्यालय के लिए)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सरकारी लेखा परीक्षक (केवल महाविद्यालय के लिए)

दिनाँकः .....

- **संक्रामक रोग (निदान विशेषताओं की विस्तृत जानकारी, जाँच पड़ताल, उपचार एवं राष्ट्रीय स्वास्थय कार्यक्रम)**
    - o क्षयरोग
    - o हैजा
    - o आन्थ्र ज्वर
    - o पेशी तनाव (टिटनस)
    - o कुष्ठ रोग
    - o पोलियो
    - o एच0आई0वी0–एड्स एवं एस0टी0डी0
    - o यकृत–शोथ (हैपेटाइटिस)
    - o कुकुर खाँसी (परट्यूसिस)
    - o रोहिणी (डिपथिरिया)
    - o ग्रेस्ट्रोएन्टेराइटिस